निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 94 / 2019 तारीख दायरा 07.10.2019

उनवान

कन्हैयालाल आत्मज रामा जाति मीना निवासी ग्राम बांगडस्या तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज रामा जाति मीना निवासी ग्राम बांगडस्या तह. सांगोद जिला कोटा।
2. धर्मराज पुत्र द्वारकालाल जाति मीना।
3. कृष्णमुरारी पुत्र द्वारकालाल जाति मीना।
4. बुद्धिप्रकाश पुत्र द्वारकालाल जाति मीना।
5. भरोसीबाई पत्नि द्वारकालाल जाति मीना निवासीगण ग्राम बांगडस्या तहसील सांगोद।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांग्रोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,54 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादी) दिनांक :— 24.02.2021

श्री सुरेश शर्मा (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की निम्न आराजी ग्राम बांगडस्या तह. सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खसरा न.	रकबा हैक्टर

61	0.01
62	1.03
151	0.37
260	0.05

कुल 5 किता की कुल 1.74 है. आराजी।

उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को अपने पिता स्व.रामा से प्राप्त हुई है। स्व. रामा की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता स्व. द्वारकालाल के खाते में 1/3 हिस्सा आराजी प्रत्येक के हिस्से में दर्ज की गई। परन्तु द्वारकालाल जी की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी में द्वारकालाल जी के वारिसान 2 ता 5 का नाम खाते में दर्ज किया गया, खाते में पृथक से हिस्सा दर्ज नहीं होने से वादी व प्रतिवादी सं.1 के साथ प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का नाम दर्ज कर दिया गया तथा सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 में प्रत्येक खातेदार का 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि कानूनन वादी का एवं प्रतिवादी सं.1 का 1/3 तथा शेष प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा में दर्ज किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वादी राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करवाकर अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा पृथक से विभाजन करवाये जिसके लिए प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम बांगडस्या तहसील सांगोद जिला कोटा की कुल किता 5 की कुल 1.74 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त कर वादी का 1/6 हिस्से के स्थान पर 1/3 दर्ज फरमाया जावे तथा वादी का 1/3 हिस्सा प्रस्तावित विभाजन मंगवाकर पूर्व ... बंटवारा किया जाकर राजस्व में पारिवारिक विभाजन मुताबिक कब्जे में स्थित 1/3 आराजी ... किया जावें तथा राज रेकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा पृथक से दर्ज कर पृथक से ... लगान भी पृथक से अंकन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री सुरेश शर्मा द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 3 ता 6 बावजूद सूचना

उपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध ...
...तिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा शेष
...तिवादीगण अनुपस्थित हैं अतः प्रकरण में उनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वकील
...धिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को
स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, इकबाली जवाब दावा, बहस वादी अधिवक्ता, नकल जमाबंदी इत्यादि के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने योग्य हाने से स्वीकार किया जाता है तथा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम बांगडस्या तहसील सांगोद जिला कोटा की कुल किता 5 की कुल 1.74 हैक्टर आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का , प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदउपरान्त पक्षकारान की आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अन्यथा रिकार्ड से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रू. मुकर्रर की जाती है। विवादित आराजी पर रहन की स्थिति होने पर बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा